

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर  
पत्रांक— १३१ / मी०क्षे० / ३३ / मीरजापुर, दिनांक, जुलाई, २४ - २०२२  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:— जनपद—सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा आर०एस०रोड(सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनैज संख्या— ०.००० से २०.१५० तक में निर्मित मोर्ब के चौड़ीकरण एवं सृद्धीकरण से प्रभावित १४.५६०३ हे० वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के संबंध में।

(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/ROAD/118819/2021)

संदर्भ:— १—भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक— ८बी/यू०पी०/०६/३३/२०२२/एफ०सी०/७८६ दिनांक— ३१.०३.२०२२

२—आपका पत्रांक— २७९५/११—सी— FP/UP/ROAD/118819/2021 लखनऊ दिनांक— ०१.०४.२०२२

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे। प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा इंगित की गयी कमियों से संबंधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्रांक— ३५२/रेनुकूट/१५—२९५ दिनांक— २७.०७.२०२२ (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की अनुपालन आख्या निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्नानुसार संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है :—

| क्र<br>०सं<br>० | भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक— ८बी/यू०पी०/०६/३३/२०२२/एफ०सी०/७८६ दिनांक— ३१.०३.२०२२ में अंकित बिन्दु                         | अनुपालन आख्या                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १               | २                                                                                                                                                                                             | ३                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १               | As per the GIS DSS and SOI toposheet demarcation of the forest area in Kml file is undervalued. Some forest areas are demarcated as Non-Forest land . this needs rectification/clarification. | इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि लिनियर प्लान में अंकित गैर वन भूमि का डिमार्केशन वन भूमि के रूप में करा दिया गया है। एरिया का विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या— १११ से १२० तक संलग्न किया गया है। अब एरिया में कोई कमी नहीं है। |
| २               | The NET Suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is ९.० ha . which is less than the actual required CA land area .                                                                | इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि निम्नानुसार चयनित                                                                                                               |

|   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                             | <p>किया गया है :-</p> <p>1- ग्राम-बहेराडोल 8.0003 हे0</p> <p>2- ग्राम-कटौधी 6.5600 हे0</p> <p>योग- 14.5603 हे0</p> <p>उक्त चयनित गैर वन भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग एवं वन विभाग से कराये जाने के उपरान्त वांछित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 210 पर संलग्न किया गया है । उक्त की पुष्टि पुनः राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा की गयी है । चयनित क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं है</p>                                            |
| 3 | As per the proposal CA land has been proposed in Non-Forest area . but according to the SOI toposheet and DSS CA land patch falls under the Reserve Forest area this needs rectification and clarification. | <p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित गैर वन भूमि राजस्व अभिलेखों एवं वन विभाग के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि ही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 210 पर वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है । उक्त का मिलान पुनः राजस्व अभिलेख एवं वन विभाग के अभिलेख से कराया गया तथा स्थिति पूर्व की भौति पायी गयी । चयनित क्षेत्र आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत नहीं है ।</p> |
| 4 | Geo- referenced cadastal map of the proposed CA land needs to be submitted                                                                                                                                  | <p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित क्षतिपूरक गैर वन भूमि का कैडस्ट्रल मैप प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-240, 241, 242 व 243 पर संलग्न है तथा जियो रिफरेंस मानचित्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 236 व 237 पर संलग्न है ।</p>                                                                                                                                                             |
| 5 | When was the existing road constructed . If after 1980 and permission was not taken under FCA . then the proposal should include the area of existing road as well.                                         | <p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत मार्ग पूर्व से निर्मित है किन्तु इसकी पुष्टि हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही कोई अभिलेख उपलब्ध है तथा निर्मित मार्ग के क्षेत्रफल को प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है ।</p>                                                                                                                            |
| 6 | It is not clear from the proposal that what is before and what is after proposed alignment .                                                                                                                | <p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग में सम्मिलित पूर्व मार्ग के संरेखन में कोई बदलाव नहीं किया जावेगा तथा उसी मार्ग के दोनों ओर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य किया जाना है।</p>                                                                                                                                                                                  |
| 7 | No objection certificate of concerned eaprtments (Irrigation, PWD/NHAI etc) need to be submitted .                                                                                                          | <p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि लिनियर प्लान में अंकित गैर वन भूमि का डिमार्केशन वन भूमि के रूप में कर दिया गया है । एरिया का विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 11 से 120 तक संलग्न किया गया है । अब एरिया में कोई</p>                                                                                                                                                                     |

ke

|   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                        | कमी नहीं है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 | Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan.      | <p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि निम्नानुसार चयनित किया गया है :-</p> <p>1- ग्राम-बहेराडोल 8.0003 हे0<br/> 2- ग्राम-कटौधी 6.5600 हे0<br/> योग- 14.5603 हे0</p> <p>उक्त चयनित गैर वन भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग एवं वन विभाग से कराये जाने के उपरान्त वांछित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 210 पर संलग्न किया गया है । उक्त की पुष्टि पुनः राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा की गयी है । चयनित क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं है</p> |
| 9 | Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted. | <p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित गैर वन भूमि राजस्व अभिलेखों एवं वन विभाग के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि ही है । जिसकी पुष्टि हेतु प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 210 पर वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है । उक्त का मिलान पुनः राजस्व अभिलेख एवं वन विभाग के अभिलेख से कराया गया तथा स्थिति पूर्व की भाँति पायी गयी । चयनित क्षेत्र आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत नहीं है ।</p>                                                                                                            |

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतदसह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,  
(रमेश चन्द्र झा)  
मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

सख्या- 321 /अ/समदिनांक ।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक-352/रेनुकूट/15-295 दिनांक 27.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(रमेश चन्द्र झा) 28/07  
मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर